Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

10 अक्टूबर 2018
नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की अदालत से धार्मिक आज़ादी और पर्सनल लॉ की हिफाज़त की अपील

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने कहा कि हालिया महीनों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई ऐसे आज़ाद–ख्याल और तरक़्क़ी–पसंद फैसले सामने आए हैं जिनके कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंता और बढ़ गई है कि ये फैसले कॉमन सिविल कोड की राह हमवार कर सकते हैं।

अखिला से हादिया बनी एक छात्रा के धर्म परिवर्तन और फिर एक मुस्लिम लड़के से उसकी शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रभावपूर्ण फैसला दिया था। हादिया की शादी रद्द करने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए, 9 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान की धारा 21 (जीवन और आज़ादी का अधिकार) का ज़रूरी हिस्सा है।'' देश के मौजूदा इतिहास में हम इसे एक महत्वपूर्ण अदालती हस्तक्षेप कह सकते हैं, क्योंकि इसने आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रास्तो रोकने की कोशिश करने वाली दाएं बाजू की ताकतों के खिलाफ लोगों के इस अधिकार की हिफाज़त की है।

धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप भारतीय संविधान के स्वभाव के खिलाफ है। इसलिए हर समुदाय को अपने धार्मिक संस्कार और पर्सनल लॉ पर अमल करने का पूरा अधिकार है। लेकिन केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के दाखिले को लेकर और इस्लाम में मस्जिद के महत्व पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1994 के फैसले को बरक़रार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन समुदायों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है। एक ऐसे नाज़ुक समय में जबकि देश को गैरक़ानूनी तरीके से क़ब्ज़ा करके गिराई गई बाबरी मस्जिद के लिए इंसाफ का इंतज़ार है, इस्लाम में मस्जिद की ज़रूरत के इंकार से कोई अच्छा संदेश नहीं मिलता। इस तरह के फैसले इस चिंता को और बढ़ा देते हैं कि एक साम्प्रदायिक सरकार इनका दुरूपयोग कर सकती है, जिस तरह उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाकर तीन तलाक़ पर आर्डिनेंस पास कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़कर साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि अयोध्या मस्जिद–मंदिर मामले में दस्तावेज़ और सबूतों की बुनियाद पर फैसला होगा न कि किसी धार्मिक आस्था की बुनियाद पर। कुछ बेईमान नेता बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद

की जगह पर राम मंदिर हर हाल में बनेगा। इसलिए इसको सामने रखते हुए इस मामले में बिल्कुल साफ स्टैंड सामने रखना सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ज़िम्मेदारी है।

समलैंगिकता और अडल्री को क़ानूनी तौर पर जायज़ ठहराने के फैसले में व्यक्ति की आज़ादी और प्राईवेसी की रक्षा का दावा किया गया। इसका यह मतलब बयान किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्ही जायज़ मूल्यों और विचारों को दोहरा रही है, जो पहले भी पारिवारिक व अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के पतन का कारण बन चुके हैं। जबकि आधार पर सरकार के फैसले को सही क़रार देते वक़्त व्यक्ति की इसी आज़ादी और प्राईवेसी की रक्षा के सिलसिले में कोई जोश देखने को नहीं मिला। फैसले में इस बात का ख़्याल नहीं किया गया कि हर नागरिक के अधिकारों और सरकारी वेलफेयर स्कीमों और सेवाओं को आधार से जोड़ने से आने वाले दिनों में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। भले ही हालिया अधिकतर फैसले आज़ाद–ख्याली और तरक़्क़ी–पसंदी जैसी बातों से सजी बेहद सतही भाषा में सुनाए गए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही ख़तरनाक होंगे जिनसे व्यक्ति, परिवार और समाज तबाह होकर रह जाएंगे।

पॉपुलर फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिबद्धता की सराहना की कि भारतीय संविधान और उसके मूल्य ही सबसे ऊपर हैं। बैठक ने कहा कि एक ऐसे समय में जबकि शासक ताक़तों द्वारा हमारे संविधान की लोकतांत्रिक व सेक्युलर बुनियादों को प्रभावित करने की खुली बातों और खुफिया चालों का सिलसिला जारी है, सुप्रीम कोर्ट के इसी अटल संवैधानिक स्टैंड से देश की उम्मीद जुड़ी हुई है।

संगठन के सर्वोच्च मंडल की तीन दिवसीय बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक–सामाजिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक ने विभिन्न राज्यों में संगठन की गतिविधियों का जायज़ा भी लिया। झारखण्ड में प्रतिबंध के बाद राज्य में संगठन के लीडरों और कार्यकर्ताओं ने जिस हौसले और दृढ़ता का प्रदर्शन किया वह तारीफ के काबिल है। बैठक ने प्रतिबंध हटाने के हाई कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की और झारखण्ड सरकार से राज्य में समूह बनाने की आज़ादी के अधिकार को सुनिश्चित करने की अपील की। इसके अलावा 2018–19 के शैक्षिक वर्ष में 12वीं पास छात्रों के लिए उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप के तौर पर दी जाने वाली रक़म के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपये आवंटित करने की कम्युनिटी डवलपमेंट के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की। वाइस चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, सचिव अब्दुल वाहिद सेठ और अनीस अहमद के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के अन्य सदस्य भी बैठक में उपस्थित रहे।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया